

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर  
राजस्व वाद संख्या - 152/17  
अमरसिंह बनाम मूर्ति देवी  
निर्णय दिनांक - 19.02.2018

**राजस्थान सरकार**

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)**

**पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)**

दावा संख्या  
152/17

रजू दिनांक  
15.06.2017

अंतिम निर्णय दिनांक  
19.02.2018

**अनुवांन**

1. अमूरसिंह पुत्र सोहनलाल जाति चमार निवासी गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

Page 3 of 4

निर्णय दिनांक - 19.02.2018  
वादी

**बनाम**

राजस्थान सरकार

1. मूर्ति देवी बेवा सोहनलाल

2. छाजूराम पुत्र सोहनलाल जाति चमार निवासी गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

3. उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर।

4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर।

अंतिम निर्णय दिनांक  
19.02.2018

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन कृषि भूमि एवं हुकमईम्तनाई दवामी

उपस्थिति:- 1. श्री सरजीत सिंह चौधरी वकील-वादी

2. श्री रणवीर सिंह यादव वकील - प्रतिवादीगण

वादी

**बनाम**

1. मूर्ति देवी बेवा सोहनलाल --अंतिम पर्चा डिक्री:-

2. छाजूराम पुत्र सोहनलाल जाति चमार निवासी गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

दिनांक:- 19.02.2018

3. उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर।

4. प्रतिवादीगण की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.02.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

आराजी ख0न0 614/313 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान को मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श-अ

मुण्डावर जिला अलवर  
राजस्थान

दिनांक:- 19.02.2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर

राजस्व वाद संख्या :- 152/17

अमरसिंह बनाम मूर्ति देवी

निर्णय दिनांक :- 19.02.2018

अंतिम डिक्री किया जाता है एवं उक्तानुसार ही नक्शा ट्रेस में तितम्बा काटा जाकर अलग से बटा नम्बर अंकित कर उभयपक्षकारान के खातेजात कायम किये जावें। कुरेजात प्रस्ताव "प्रदर्श-अ" निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 19.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*(Handwritten signature)*  
19.02.18  
(महेश चन्द्र मान)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
मुण्डावर (अलवर)

152/17  
अमरसिंह बनाम मूर्ति देवी  
निर्णय दिनांक :- 19.02.2018

अंतिम डिक्री किया जाता है एवं उक्तानुसार ही नक्शा ट्रेस में तितम्बा काटा जाकर अलग से बटा नम्बर अंकित कर उभयपक्षकारान के खातेजात कायम किये जावें। कुरेजात प्रस्ताव "प्रदर्श-अ" निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें। यह पर्चा डिक्री आज तारीख 19.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(महेश चन्द्र मान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
मुण्डावर (अलवर)